

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 150 / 2024

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,

जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाड़ा

निर्णय

दिनांक:- 24/09/24

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि विशेष अभियान के तहत तहसीलदार द्वारा मौके पर चल रहे रास्तों को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प-3(2) राज-6/04 दिनांक 10.08.2016 के क्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा ग्राम बीनावास पटवार मण्डल बीनावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कापरडा तहसील बिलाड़ा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर	किस्म	प्रभावित रकबा	लम्बाई*चौड़ाई
1	श्री सरकार	507 / 371	0.3398	बा.चतुर्थ	0.3398	1463.8176*25 फीट

उपरोक्त भूमि जो राजस्व रेकॉर्ड जिसमें श्री सरकार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर नीले स्याही से बताये गये रकबे पर रास्ता मौके पर चालू होना बताया है पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने भी मौके पर रास्ता चालू होना बताया गया है। रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने को उचित बताया गया है।


उक्त प्रकरण को आज तरमीम शुद्धि विशेष अभियान बीनावास में रखा गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत बीनावास द्वारा पंचायत की मासिक बैठक दौरान सभी वार्ड पंचों व सरपंच की सहमति से उक्त खसरे से जाने वाले रास्ते को गै.मु.रास्ता के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। खसरा नंबर 371/5 रकबा 0.7688 हैक्टर भूमि हेमाराम पुत्र नाथूदास जाति साद निवासी बिनावास तहसील



उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा


बिलाडा ने नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी जिसका खातेदारी अधिकार श्री सरकार के पक्ष में समर्पण की गई। प्रस्तुत समर्पण पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा तस्दीक कर स्वीकार कर लिया गया। तहसीलदार बिलाडा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी बीनावास द्वारा नामान्तरकरण सं. 1811 दिनांक 11.02.2021 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार बिलाडा के आवेदन पत्र व पटवारी हल्का व निरीक्षक भू.अ. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 58(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गयी रिपोर्ट व गश्त गिरदावरी के अनुसार मौजा बीनावास भू.अ.निरीक्षक कापरडा तहसील बिलाडा में स्थित सारणी में दर्शाये गये रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की लम्बाई (गट्ठे में) एवं रास्ते का क्षेत्रफल (रकबा में) को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बिलाडा को दिये जाते हैं। नक्शे व जमाबंदी में पृथक से व रास्ते के रकबे सहित श्री सरकार के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा।




(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 24/02/21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।




(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा